

# महिला श्रम सेवा न्यास



वार्षिक प्रतिवेदन  
अप्रैल 2017 से मार्च 2018

**"महिला श्रम सेवा न्यास" म0प्र0 के 10 जिलों में महिला श्रम शक्ति व उनके परिवार के साथ कार्यरत है इस वर्ष निम्न गतिविधिया संचालित की गई।**

### 1. जागरूकता कार्यक्रम:

श्रमजीवी महिलाओं को उनके व्यवसाय से सम्बन्धित कानूनी अधिकार, कल्याणकारी मण्डलों की योजनाओं की जानकारी नगर निगम व ग्राम पंचायतों के द्वारा मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा खाद्यय सुरक्षा, मनरेगा आदि योजनाओं की जानकारी देने हेतु बस्ती व गाँवों में जागरूकता कार्यक्रमों एवं शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में श्रमजीवी महिलाओं ने भाग लिया।



क्र0	कार्यक्रम	संख्या	प्रतिभागीयों की संख्या
1	जागरूकता कार्यक्रम	849	33960
2	जागरूकता शिविर	358	21480
	<b>कुल</b>	<b>1207</b>	<b>55440</b>

कुल 10 जिलों में 12 सौ 7 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 55 हजार 4 सौ 40 सदस्यों ने भाग लिया।

### 2. समुदाय आधारित संरचना:

शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के अधिकार व कल्याणकारी योजनाओं से निरंतर समुदाय लाभ लेता रहे इस हेतु न्यास ने सामुदायिक आधारित संरचना का निर्माण विगत 7 वर्षों से प्रारंभ किया।

शहरों की बस्तियों में व्यवसाय समिति व गाँवों में पंचायत स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया। इन समितियों में सदस्यों का निर्धारण बस्तियों व गाँवों में बड़ी बैठकों का आयोजन करके किया गया था। सदस्यों को शहरी व ग्रामीण समुदायों द्वारा चुना गया।

वर्तमान में मोहल्ला समिति, निगरानी समितिया कार्यरत है।

बस्ती व गाँवों में समुदाय को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़ने व लाभ दिलवाने हेतु न्यास ने सूचना केन्द्रों की स्थापना की। 5 बस्तीयों के मध्य शहर में एक व पंचायत स्तर पर ग्रामों में इनको प्रारंभ किया गया। इनका संचालन करने हेतु मोहल्ला समिति व गाँवों में निगरानी समिति के सदस्यों में से एक महिला सदस्य को प्रशिक्षित किया। सूचना केन्द्र समुदाय की आवश्यकतानुसार हफ्ते में एक बार खोले जाते हैं। सूचना केन्द्रों पर सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनायें व कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने हेतु आवेदन फार्म इनमें सम्बन्धित जागरूकता सामग्री उपलब्ध रहती है।

मोहल्ला समितियों की बैठक प्रतिमाह इन केन्द्रों पर होती है। व ग्राम निगरानी समितियों की बैठक प्रत्येक 15 दिन में ग्राम पंचायतों के सूचना केन्द्रों पर की जाती है। यह बैठके क्षेत्र के सम्बन्धित कार्यकर्ता व जिला समन्वयको द्वारा की जाती हैं। जिसमें इनके द्वारा किये गये कार्यों की रिपोर्ट व आने वाली समस्याओं का समाधान पर चर्चा होती है।

सूचना केन्द्रों का संचालन करने वाली बहनों की प्रतिमाह बैठके जिला कार्यालय पर की जाती है व आवश्यकता राज्य कार्यालय में भी बुलाया जाता है।



सभी मोहल्ला समिति व निगरानी समिति के सदस्यों की बैठके प्रति 6 माह में जिला कार्यालयों पर की जाती है। जिसमें न्यास द्वारा संचालित गतिविधियों की रिपोर्ट व आगामी कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण होता है। व चर्चा कर उसके अनुसार कार्य किया जाता है।

**सामुदाय आधारित सरंचना के अंतर्गत निगरानी समिति और सूचना केन्द्रों पर आयोजित बैठकें:**

क्र०	समिति का नाम	समिति की संख्या	बैठकों की संख्या
1.	निगरानी समिति	60	660
2.	सेवा सूचना केन्द्र	45	495
<b>कुल</b>		<b>105</b>	<b>1008</b>

कुल 1 सौ 5 समिति व सूचना केन्द्र के साथ कुल 1 हजार आठ बैठकों का आयोजन किया गया।

## 2.1 क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

न्यास द्वारा मोहल्ला समिति, निगरानी समिति, सूचना केन्द्र संचालिका व कार्यकर्ताओं की विभिन्न स्तर पर क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय-समय पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष निम्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।



क्र०	प्रशिक्षण का नाम	संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	कार्यक्रम टीम प्रशिक्षण	06	70
2.	ग्राम निगरानी समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	80	770
3.	सूचना केन्द्र संचालिका प्रशिक्षण	160	160
4.	सामुदायिक आगेवान प्रशिक्षण (व्यवसाय अनुसार)	20	600
5.	किशोरी बालिका प्रशिक्षण (महिला एंव बाल विकास के सहयोग से)	10	60
<b>कुल</b>		<b>276</b>	<b>1660</b>

बहनों की क्षमता विकास करने के लिए कुल 2 सौ 76 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 1 हजार 6 सौ 60 सदस्यों द्वारा भाग लिया।

### 3. सामाजिक सुरक्षा


श्रमजीवी महिलायें व उनके परिवार अधिकांश अपने मजदूरी करने जाते हैं गरीबी एंव शिक्षा के अभाव के कारण सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं जैसे स्वास्थ्य सुविधायें, बाल सुविधायें, आवास, बीमा एंव अन्य सुविधायें नहीं मिलती हैं। किन्तु केन्द्र व राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाये संचालित की जाती हैं। शहरों में नगरनिगम व गाँवों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से इनका संचालन किया जाता है। विभिन्न शासकीय विभाग जैसे श्रमविभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एंव बाल विकास, कृषि विभाग, लघुवनोउपज समिति व आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा भी कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है।

इन योजनाओं में लाभ लेने हेतु जागरूकता व आवेदन करवानें में संस्था के कार्यकर्ता मोहल्ला समिति, निगरानी समिति के सदस्य सहायता करते हैं। योजनाओं के आवेदन फार्म सूचना केन्द्रों पर उपलब्ध रहते हैं।

#### 3.1 पंजीयन

विभिन्न कल्याण मण्डलों द्वारा संचालित योजनाओं में लाभ लेने हेतु श्रमिकों को अपने काम का प्रमाण देकर पंजीयन करवाना होता है। इस वर्ष निम्न व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकाओं को पंजीयन दिलवाने में सहायता प्रदान की गई।

क्र०	व्यवसाय	पंजीयन पत्र	
		नया	नवीनीकरण
1.	निर्माण कार्य	22293	9660
2.	बीड़ी बनाना	6900	5520
3.	फेरी लगाना	500	—
4.	घरेलू कार्य	10400	5540
5.	खेती कार्य	269	352
6.	तेन्दूपत्ता संग्रहण	2396	2366 (परिवार के सदस्यों के नाम जुड़वाये)
<b>कुल</b>		<b>42758</b>	<b>23438</b>



पंजीयन की प्रक्रिया के अंतर्गत कुल नए पंजीयन 42 हजार 7 सौ 58 व नवीनीकरण में 23 हजार 4 सौ 38 पंचीजन करवाए गए।

### 3.2 खाद्य सुरक्षा

मोप्र0 शासन ने 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत गरीबों को सस्ते दर पर अनाज देने हेतु अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की जिसमें 24 प्रकार की श्रेणी के परिवारों को खाद्य पर्ची का वितरण नगर निगम व ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया। इन परिवारों को खाद्य पर्ची दिलवाने सहायता की गई। जो इस प्रकार हैः—

क्रमांक	कार्य	संख्या
1	खाद्य पर्ची बनवाई	8090
2	आधार कार्ड सिडिंग	19500
3	जागरूकता शिविर	210
4	राशन दुकान पर संपर्क	648
	<b>कुल</b>	<b>28448</b>

इस प्रकार कुल 28 हजार 4 सौ 48 लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत लाभ दिलवाया गया

### 3.3 सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से लाभ:

शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं में परिवारों को जोड़ा व योजनाओं का लाभ दिलवाया गया।

#### (अ) पेंशन व बीमा

क्र0	योजना	संख्या	क्लेम	राशि
1	बीमा	1890	15	450000
2	वृद्धा पेंशन	433	—	64950
3	विकलांग पेंशन	45	—	11250
4	विधवा पेंशन	540	—	81000
	<b>कुल</b>	<b>2908</b>	<b>15</b>	<b>607200</b>

पेंशन व बीमा के अंतर्गत कुल 2 हजार 9 सौ 8 बहनों को कुल 6 लाख 7 हजार 2 सौ रुपये का लाभ दिलवाया गया।

(ब) शिक्षा व स्वास्थ्य

क्र०	योजना	संख्या	राशि
1	स्वास्थ्य सुविधा	62	263500
2	गोलियों का वितरण	4900	—
3	शिक्षा सुविधा	1440	720000
	<b>कुल</b>	<b>6402</b>	<b>983500</b>

शिक्षा व स्वास्थ्य के अंतर्गत कुल 6 हजार 4 सौ 2 बहनों को कुल 9 लाख 83 हजार 5 सौ रुपये का लाभ दिलवाया गया।

(स) प्रमाण पत्र व पहचान पत्र

क्रमांक	प्रमाण पत्र	संख्या
1.	जाति	30
2.	जन्म	45
3.	मूलनिवासी	60
4.	मृत्यु	35
5.	वोटर आईडी	140
6.	आधार कार्ड	15000
7.	समग्र आईडी	14600
	<b>कुल</b>	<b>29910</b>

इस प्रकार कूल 29 हजार 9 सौ 10 बहनों का लाभ दिलवाया गया।

(द) अन्य सहायता

क्र०	योजना	संख्या	राशि
1	विवाह सहायता	700	17500000
2	प्रसुति सहायता	490	3714690
3	परिवार सहायता	650	1300000
4	बैंक खाते खुलवाना	12000	—
	<b>कुल</b>	<b>13840</b>	<b>22514690</b>

कुल 13 हजार 8 सौ 40 बहनों को कुल 2 करोड़ 25 लाख 14 हजार 6 सौ 90 रुपये का लाभ दिलवाया गया।

#### 4. आजिविका उपार्जन कार्यक्रम:

गरीब महिलाएं जो कार्य करती हैं वो मौसमी होता है अर्थात् पुरे साल काम नहीं मिलता इन बहनों व इनके परिवार के सदस्यों को सरकारी कार्यक्रमों और अन्य रोजगार से जोड़ा जाता है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा व तेन्दूपत्ते के शाख कतरन के द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार दिलवाया गया। जिला मन्दसौर में सिलाई एवं ब्यूटी पॉलर प्रशिक्षण रिन्यू पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया जिसमें बहनों को सिलाई एवं ब्यूटी पॉलर के प्रशिक्षण के बाद रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही धरेलू कामगार प्रशिक्षण शासन के सहयोग से बहनों को दिलवाया गया।



क्र०	प्रशिक्षण का नाम	संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	सिलाई प्रशिक्षण (रिन्यू पावर के सहयोग से)	06	48
2	ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण (रिन्यू पावर के सहयोग से)	05	40
3	धरेलू कामगार प्रशिक्षण (शासन के सहयोग से)	18	180
	<b>कुल</b>	<b>29</b>	<b>268</b>

कुल 2 सौ 68 बहनों को आजिविका उपार्जन कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलवाया।

#### 4.1 आजिविका कौशल विकास प्रशिक्षण शहरों में

क्र	कार्य का नाम	संख्या	राशि
1	सिलाई कार्य दिलवाया	490	1225000
2	खाना बनाने का कार्य	153	459000
3	बत्ती पैकिंग	144	259200
4	अन्य पैकिंग	250	270000
5	झाय फुड कटिंग	1000	2700000
6	सुपारी कटिंग	1500	1500000
7	पुजा सामग्री	750	675000
8	चोकीदार का कार्य	18	54000

9	किराना दुकान पर कार्य	13	39000
10	पापड बनाने का कार्य	135	148500
11	खीलोना पैकिंग	350	315000
12	चुड़ी बनाने का कार्य	150	16500
13	राखी बनाना व हार का कार्य	115	172500
14	लड्डु बनाने का कार्य	70	63000
15	लयलोन थेली व हल्दी पैकिंग	55	60500
	<b>कुल</b>	<b>5193</b>	<b>7957200</b>

शहरी क्षेत्र में कुल 5 हजार 1 सौ 93 बहनों को कुल 79 लाख 57 हजार 2 सौ को रोजगार दिलवाया गया।

#### 4.2 आजिविका कौशल विकास प्रशिक्षण गांवों में:

क्र	कार्य का नाम	संख्या	कार्यदिवस	राशि
1	मनरेगा में रोजगार दिलवाया	16102	483060	83086320
2	तेन्दूपत्ता में शाख कतरन	656	—	440275
<b>कुल</b>		<b>16758</b>	<b>483060</b>	<b>83526595</b>

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में कुल 16 हजार 7 सौ 58 बहनों को 8 करोड 35 लाख 26 हजार 5 सौ 95 को रोजगार दिलवाया गया।

#### 5.स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण:

क्र0	परिसम्पत्तियों का निर्माण	संख्या
1	कपिलधारा कुप निर्माण	58
2	मेड बंधन	322
3	तालाब गहरीकरण	15
4	तालाब निर्माण	2
5	कुटीर निर्माण	229
6	सामुदायिक भवन निर्माण	8
7	कूप निर्माण	6
8	कूप गहरीकरण	38
9	हेण्डपम्प निर्माण	22
	<b>कुल</b>	<b>700</b>



स्थायी सम्पत्तियों के अंतर्गत कुल 7 सौ स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण करवाया गया।

## 6. माइक्रो प्लानिंग:

पॉच पंचायतों में ग्रामीण जन के साथ मिलकर “सघन सहभागी नियोजन” या माइक्रोप्लानिंग की गई इसमें निम्न प्रस्ताव ग्रम सभा में रखे गये जो इस प्रकार है:

### (अ) गांव की सामान्य जानकारी:

क्र०	जिला	क्र०	ग्रम पंचायत
1	देवास	1	अमरपुरा
		2	पौलाय
2	इन्दौर	3	घोड़खुर्द
		4	छापरिया
3	धार	5	धोला हनुमान



### (ब) ग्रम पंचायत के अनुसार ग्रम सभा में किए गए प्रस्ताव की जानकारी:

क्र.	विवरण	अमरपुरा	पौलाय	धोला हनुमान	घोड़ा खुर्द	छापरिया
1	कपिल धारा कुआ	3	2	2	2	1
2	वृक्षारोपण	1625	1810	1250	1360	1100
3	तालाब निर्माण	2	1	2	1	2
4	तालाब गहरीकरण	3	2	4	1	2
5	सी.सी. रोड	1	1	3	2	1
6	सामुदायिक भवन	1	1	2	1	1
7	मेड बन्धन	570	658	580	1210	850
8	मुक्ती धाम	2	2	1	1	1
9	पशु शेट निर्माण	1	00	00	1	00
10	शौचालय निर्माण	70	65	83	75	85
11	खेत तालाब	2	3	2	2	3
कुल		2280	2545	1929	2656	2046

### 6.1 ग्राम सभा का आयोजन:

समय—समय पर आयोजित ग्राम सभा में निगरानी समिति सदस्य, सूचना केन्द्र के साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा भाग लिया गया व ग्रामीण समस्याओं को लेकर ग्राम सभा में प्रस्ताव रखे गये व उन प्रस्तावों को प्रस्तावित भी करवाया गया ।



क्र०	जिला	ग्राम सभा	ग्राम पंचायत	प्रस्ताव की सूची
1	इंदौर	4	4	
2	सागर	4	4	
3	दमोह	4	4	
4	धार	4	4	
5	देवास	4	4	
6	मंदसौर	4	4	
7	छतरपुर	4	4	
	कुल	28	28	शैचालय निर्माण , कपिलधारा कुप निर्माण , मेड बंधान , प्रधानमंत्री आवास , सी.सी.रोड निर्माण , ग्रेवल रोड निर्माण , हेण्डपम्प निर्माण तालाब निर्माण , तालाब गहरीकरण , कुटी आवास , नाली निर्माण , खेत तालाब , सामुदायिक भवन निर्माण ,

इस प्रकार कुल 7 जिलों में 28 ग्राम सभा में 28 ग्राम पंचायत में निगरानी समिति सदस्य, सूचना केन्द्र के साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा भाग लिया गया ।

### 7. बुनियादी सुविधायें –

विभिन्न प्रकार की इस वर्ष शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्यों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करवाई गई जो इस प्रकार है ।

क्र०	योजनायें	संख्या
1	आवास (बीड़ी व प्रधानमंत्री)	480
3	पानी की सुविधा	110
4	बिजली की सुविधा	445
5	शैचालय निर्माण	9062
6	रोड की मरम्मत	12
7	पट्टे	42
8	सी०सी रोड बनवाई	38
	कुल	10192

कुल बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत 10 हजार 1 सौ 92 परिवारों को लाभ दिलवाया गया ।

## 8. विशेष कार्य:

न्यास द्वारा विभिन्न प्रकार के इस वर्ष शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्य किए गए जो इस प्रकार हैं।

### 8.1 स्वच्छता कार्यक्रम

न्यास द्वारा ‘स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम’ का आयोजन जिला मन्दसौर में किया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का अयोजन किया गया जिससे की स्वच्छता को लेकर जागरूकता आए जो इस प्रकार हैः

**गतिविधियों का विवरण:-**

- ✓ रैली के माध्यम से स्वच्छता एवं सफाई के बारे में जागरूकता
- ✓ सामुहिक जगहों पर कुड़ादान
- ✓ स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक



इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण लोगों को बताया गया कि स्वच्छता रखना केवल सफाईकर्मियों और सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है यह जिम्मेदारी प्रत्येक परिवार और सदस्यों की भी है। इस कार्यक्रम के चलाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूक कर कुड़ेदान का उपयोग करने के साथ ही लोगों के व्यवहार में बदलाव कर रखायी स्वच्छता को लाना है। इसके लिए गांव में प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण जरूर हो और उसका उपयोग भी। घर में शौचालय का निर्माण करने से खुले में शौच से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से लोगों को बचाना और इस कारण होने वाली बिमारीयों के प्रति जागरूक किया गया ताकि वह स्वच्छता और सफाई के लिए खुद भी जागरूक हो और स्वच्छता रखने के लिए दुसरों को भी प्रेरित करे।

### 8.2 कार्यशालाओं का आयोजन:

राज्य शासन के विभिन्न विभागों के साथ कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन राज्य जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिसमें समुदाय की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा व उसके निराकरण हेतु बातचीत की गई।

क्र०	कार्यशाला का स्तर	कार्यशाला की संख्या	प्रतिभागीयों की संख्या
अ	ब्लॉक स्तरीय	6	303
ब	सतर्कता समिति कार्यशाला ब्लॉक स्तर पर	2	73
स	जिला स्तरीय	1	101
द	राज्य स्तरीय	2	176
	<b>कुल</b>	<b>11</b>	<b>653</b>

(अ) ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला:



(ब) ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला:



(स) जिला स्तरीय कार्यशाला:



#### (द) राज्य स्तरीय कार्यशाला:

न्यास द्वारा जिला भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने एवं इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे—खाद्य पात्रता पर्चीयों का जारी नहीं होना, राशन की दुकान समय एवं तय किए गए दिन पर नहीं खुलना, सतर्कता समिति, आधार कार्ड सीड़िंग और पीओएस मशीन से जुड़ी समस्याओं के साथ ही खाद्यान्य पर्ची के



आवदेन करने के बाद भी नहीं मिलने के करणों का जानने और उनके समाधान करने के उद्देश्य को लेकर दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को जिला भोपाल में गांधी हॉल के सभा कक्ष में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्रीमान् शशांक मिश्रा, सयुक्त संचालक, खाद्य विभाग एवं विशेष अतिथि श्रीमती ज्याति शाह, जिला आपुर्ति नियंत्रक, खाद्य विभाग और श्रीमती वर्षा जी, श्रम विभाग, श्रीमती शिखा जोशी, महामंत्री, सेवा मोप्रो, सेवा कार्यकर्ताओं सहित इन्डौर, देवास, धार, खण्डवा, उज्जैन, भोपाल, छतरपुर जिले कि ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, सेवा ग्रामीण निगरानी समिति, सूचना केन्द्र संचालिका, सतर्कता समिति के सदस्य, खाद्यान्य पर्ची से जुड़ी समस्याओं वाले ग्रामीण सदस्यों सहित लगभग 66 सदस्य कार्यशाला में उपस्थित रहें। भवन निर्माण कर्मकार मण्डल से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु 14 मार्च 2018 को कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें कुल 110 श्रमिक बहनों ने अपनी समस्याओं को रखा और अनके समाधान हेतु अधिकारीयों से चर्चा की गई।

इस प्रकार कुल 11 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 6 सौ 53 लोगों ने भाग लिया।

### 8.3 आगेवान मिलन समारोह:

न्यास द्वारा दिनांक 14/03/08 को गांधी भवन भोपाल में आगेवान मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें धार, देवास, महू, सागर, छत्तरपुर, मंदसौर से 30 पंचायतों से निगरानी समिति के सदस्य एवं भोपाल, खण्डवा से सूचना केंद्र संचालिका उपस्थित हुई इस आगेवान मिलन समारोह में 110 बहने शामिल हुई। समारोह में आये सभी बहनों द्वारा अपने—अपने अनुभव व कार्यों को सभी के समक्ष साझा किया।



### 8.4 कल्याण मण्डल में श्रमिकों का पंजीयन:

श्रमिक कल्याण मण्डल 27 मार्च से 20 अप्रैल 2018 तक शहरी निकायों में नगर-निगम के झोन कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ जिसमें पंजीयन फार्म भरे गये इस योजना में जो कामगार इस पंजीयन की प्रक्रिया में छुट गये उनको जोड़ा गया जैसे कल्याण मण्डल कृषि मजदूर, लघु कृषक (ढाई एकड़ तक के भू-स्वामी), घरेलु श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तुएँ और जुते बनाने वाले चर्मकार, ऑटो –रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्टन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ी फर्नीचर तथा माचिस एवं आतिशबाजी अद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिक शामिल थे। ऐसे प्रत्येक मजदूर को कल्याण योजना से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर पंजीयन शिविरों का आयोजन कर रजिस्ट्रेशन किया गया। ताकि इस मण्डल से मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का फायदा सभी मजदूर ले सकें।



क्र०	जिला	पंजीयन संख्या
1	इन्दौर	38150
2	उज्जैन	11720
3	देवास	10200
4	सागर	8020
5	छतरपुर	17388
6	मंदसौर	6500
7	धार	14207
8	भोपाल	997
9	खण्डवा	3012
	<b>कुल</b>	<b>110114</b>

कुल 9 जिलों में 1 लाख 10 हजार 1 सौ 14 श्रमिकों का पंजीयन किया गया।

#### 8.5 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस:

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला श्रम सेवा न्यास के द्वारा म.प्र के 14 जिलों में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया व इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया जैसे रंगोली प्रतियोगिता, गीत गायन प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया व पुरुस्कार भी वितरित किये गये।



## 8.6 बाल दिवस कार्यक्रम:

14 नवम्बर को बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्कूल के बच्चों के द्वारा भाग लिया गया व विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जेसे चेयर रेस प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता व गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को पुरुस्कार भी वितरित किये गये ।



## 8.7 पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन:

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंदौर सहित म.प्र के 14 जिलों मे पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया व गाँव स्वच्छता अभियान चलाया जिसमे गाँव कि सफाई कि गई व लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया व इस अवसर पर जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया व चित्रकला प्रतियोगिता जिसमें पुरुस्कार वितरित किये गये ।



## 9. शासकीय कार्यालयों में सम्पर्क:

राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील, नगर निगम, श्रम विभाग, वन विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनपद पंचायत, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत आदि विभागों से पंजीयन, नवीनीकरण, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, हेतु समय—समय पर संम्पर्क किया गया ।

## 10. प्रकाशन सामग्री:

न्यास द्वारा मजदूर श्रमिकों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की शहरी और ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए अनकी सरल भाषा में प्रकाशन सामग्री का निर्माण किया गया ताकि उससे योजना के बारे में आसानी से जानकार लाभ ले सकें ।

